

फार्म / Form -4

छुट्टी लेने/बढ़ाने/परिवर्तित करने के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र
Medical certificate for leave or extension of leave or commutation of leave

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर / Signature of the Government Servant

मैं, डॉ. सावधानी से जाँच करने के बाद प्रमाणित करता/करती हूँ
कि डॉ./श्री/श्रीमती/क्यू., जिनके हस्ताक्षर ऊपर दिए गए हैं,
..... बीमारी से पीड़ित है और अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मेरे
विचार से इन्हें से दिनों की छुट्टी अत्यंत आवश्यक है।

I, Dr. hereby certify, after careful personal
examination of the case, that Shri/Kum/Dr.,
whose signature is given above, is suffering fromand I
consider that a period of absence from duty ofwith effect fromis
absolutely necessary for the restoration of his/her health.

दिनांक / Dated :

..... अस्पताल/डिस्पेन्सरी के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी या अन्य
कोई पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी/
Authorised Medical Attendant of
.....Hospital/ Dispensary or
other Registered Medical Practitioner

नोट / Note:

बीमारी की प्रकृति एवं संभाव्य अवधि स्पष्ट कीजिए/ The nature and probable duration of illness
should be specified.

- सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर लेने के बाद यह फार्म यथासंभव ठीक प्रकार से भरा जाना चाहिए। प्रमाणित करने
वाले अधिकारी को यह प्रमाणित करने की छूट नहीं है कि सरकारी कर्मचारी के लिए अमुक स्थान से बदली
आवश्यक है या अमुक स्थान उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसे प्रमाण-पत्र संबंधित प्रशासनिक
अधिकारी के स्पष्ट आग्रह पर ही दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी यह निर्णय लेंगे कि इस प्रकार का
आवेदन कब उनको प्रस्तुत किया गया और क्या उनके स्वास्थ्य की जाँच के लिए सिविल सर्जन या स्टाफ
सर्जन के पास जाना चाहिए।/

This form should be adhered to as closely as possible and should be filled in after the
signature of the Government Servant has been taken. The certifying officer is not at
liberty to certify that the Government servant requires a change from or to a particular
locality, or that he is not fit to proceed to a particular locality. Such certificates should
only be given at the explicit desire of the administrative authority concerned, to
whom it is open to decide, when an application on such grounds has been made to

him, whether the applicant should go before a Civil Surgeon or Staff Surgeon to decide the question of his/her fitness for service.

3. यदि दूसरी चिकित्सा की आवश्यकता हो तो छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी को चिकित्सा अधिकारी, (जिसका पद सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन से कम न हो) से दूसरी चिकित्सा की व्यवस्था यथाशीघ्र करनी चाहिए। चिकित्सा अधिकारी बीमारी के बारे में बता देंगे तथा इस उद्देश्य के लिए वे चाहे तो सरकारी कर्मचारी को उनके या उनके द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता पर राय देंगे।

Should a second medical opinion be required, the authority competent to grant leave should arrange for the second medical examination to be made at the earliest possible date by a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon or Staff Surgeon, who shall express an opinion both as regards the facts of illness and for this purpose he may either require the government servant to appear before himself or before the Medical Officer nominated by himself.

4. इस प्रमाण-पत्र दिए गए किसी भी अनुशंसा के आधार पर सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की छुट्टी की दावा नहीं कर सकता।

No recommendation contained in this certificate shall be evidence of a claim to any leave not admissible to the Govt. Servant.